

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

- 1) सभी विभागाध्यक्ष,
- 2) सभी वार्डन / सहायक वार्डन (छात्र / छात्रा छात्रावास)
- 3) नोडल पदाधिकारी, एन्टी रैगिंग,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

विदित हो कि इस नये सत्र (2017-18) में इस चिकित्सा महाविद्यालय में चयनित सभी छात्र/छात्राओं का नामांकन कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में उनका वर्ग-व्याख्यान भी प्रारम्भ है । नये नामांकित छात्र/छात्राओं के साथ (वर्ग-व्याख्यान/छात्रावास/अन्य स्थान में) किसी अन्य छात्र/छात्राओं द्वारा किसी प्रकार का रैगिंग नहीं किया जाए, के मद्देनजर आप सभी पदाधिकारी सर्टक/जागरूक (Vigilant) रहेंगे । किसी प्रकार का रैगिंग संबंधी सूचना मिलने पर तत्काल अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना (ईमेल/दूरभाष के माध्यम से) देंगे, ताकि ससमय ठोस कार्रवाई की जा सके । यह सूचना आप सभी अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी पदाधिकारियों के बीच भी प्रचारित करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

रैगिंग प्रत्येक परिस्थिति में Punishable है । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए ।

ह0/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 1860/17

दिनांक:- 14-09-17

प्रतिलिपि:-

- 1) सुपरवाईजर, सुरक्षा गार्ड, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आप पूरे परिसर में पैनी नजर बनाये रखेंगे, रैगिंग संबंधी किसी भी सूचना पर अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे । इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए आप दोषी माने जायेंगे तथा आप पर टोस अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।
- 2) प्रभारी प्राध्यापक (प्र0)/Estate Officer/प्रभारी प्राध्यापक (परीक्षा)/ओ0एस0डी0, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 4) I.T. Sec., श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

प्राचार्य
14/09/17

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर